

BA-1, Paper-2 (Comparative Politics)

TOPIC - Switzerland legislature (स्वीडन व्यवस्थापिका)

Date - 20.05.2020

Deena Kumari, Asst. Prof. (Pol. Sc.), RMC (Sasaram).

स्वीटजरलैंड विकसित देशों का देश है। यहां पर विधायिका को संघीय सभा कहते हैं। उसके दो सदन होते हैं। निम्न सदन को राष्ट्रीय परिषद तथा ऊपरी सदन को राज्य परिषद कहा जाता है। इसकी राजनीतिक व्यवस्था उदार लोकतंत्रीय है और राजनीतिक संरचना संघात्मक है। इस देश का राजनीतिक नाम ही 'स्विस परिसंघ' है।

स्वीटजरलैंड बनेक राजनीतिक प्रभागों में बंटा है जिन्हें 'कैंटन' कहा है। स्विस परिसंघ ऐसे 20 कैंटनों और 6 अर्ध कैंटनों का संघ है। प्रत्येक कैंटन का अपना संविधान अपनी विधानसभा और अपनी-अपनी सरकार है। कैंटनों की एक निचले स्तर पर कम्यून है, इसकी जनसंख्या 20 से लेकर 3,50,000 तक है। कम्यून सभाओं और परिषदों के माध्यम से वहां 'प्रत्यक्ष लोकतंत्र' का बड़ाका दिया जाता है।

(निम्न सदन) सदन राष्ट्रीय परिषद - सदस्य संख्या

200 है। स्विस संविधान के अर्थ 72 के अनुसार राष्ट्रीय स्विस जनता की प्रतिनिधि सभा है। इसमें 24,000 जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाता है। चुनाव गुप्त मतदान द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार होता है। 20 वर्ष से अधिक आयु वाले स्त्री-पुरुष को चुनाव में उम्मीदवार बनने तथा मत देने का अधिकार प्राप्त है। पादरी, फेडरल सरकार के कर्मचारी

राज्य परिषद (Federal Council) का सदस्य राष्ट्रीय परि. के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते। राष्ट्रीय परि. का कार्यकाल 4 वर्ष का है। प्रत्येक 4 वर्ष पश्चात अक्टूबर माह के अंतिम शनिवार को रा. परि. का चुनाव होता है। प्रतिवर्ष इस सदन की मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर में होती है। रा. परिषद का असाधारण अधिवेशन 5 कैबिनेटों या संघीय सभा के 1/4 सदस्यों की मांग पर बुलाया जा सकती है। रा. परि की बैठकों के लिए प्राणपूर्ति 101 रखी गई है।

- अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष :- रा. परिषद का अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनने का अधिकार है।
- अध्यक्ष के कार्य - 1. सदन की बैठकों की अध्यक्षता।
 2. निर्णयक मत देने का अधिकार
 3. अध्यक्ष द्वारा सदन में शांति एवं व्यवस्था कायम रखी जाती है।
 4. वह सदन की मान मर्यादा की रक्षा करता है।
 5. वह सदस्यों के व्यक्तिगत तथा सदन के सार्वभौमिक विरोध अधिकारों की रक्षा करता है।

दोनों सदनों की कार्यों एवं संशक्तियों का वर्णन एक साथ किया गया है।

राज्य परिषद - (उच्च सदन) राज्य परि में कैबिनेटों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। प्रत्येक बड़े कैबिनेट को राज्य परिषद में 2 प्रतिनिधि और प्रत्येक अईकैबिनेट को एक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया है। वर्तमान में राज्य परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 44 है ज्योंकि स्वीट्जरलैंड में 19 बड़े कैबिनेट और 6 अई कैबिनेट हैं।

संविधान में राज्य परिषद के सदस्यों के निर्वाचन की विधि का उल्लेख नहीं किया गया है यह केंद्रों की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। केंद्रों द्वारा विविध पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। 17 केंद्र राज्य परिषद में अपने प्रतिनिधि संघ जनता के प्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुनकर भेजते हैं। 4 केंद्र जनसभाओं द्वारा (Referendum) तथा 4 केंद्र अपने विधानमंडलों द्वारा चुनकर भेजते हैं।

अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष - अपने सदस्यों में से ही प्रत्येक साधारण तथा असाधारण अधिवेशन के लिए एक अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष चुनने का अधिकार है। एक वर्ष जिस केंद्र का एक सदस्य अध्यक्ष होता है दूसरे वर्ष वहां से नहीं चुना जाता है। केंद्रों की अध्यक्षता की जाती है, निर्णायक मत देना, सदन की कार्यवाही का नियमानुसार आदि कार्य अध्यक्ष द्वारा किए जाते हैं।

To be continued in next class